27/5/24 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील वादी
अथवा वादी की ओर कोई हाजिर
नहीं है। तलबीयात जारी की
गई। वादी को बार-बार आवाज
लगवाई गई। बावजूद आवाज
के भी कोई उपस्थित नहीं आया
है। इससे प्रतीत होता है कि
वादी अपने वाद के प्रति उदासीन
है तथा वाद को चलाना नहीं
चाहता। अतः वाद को इसी स्तर
स्थगित किया जाना उचित प्रतीत
होता है। अतः वादी का वादपत्र इसी
स्तर पर अस्वीकार कर खारिज
किया जाता है। पत्रावली फैसल-
शुमार होकर नम्बर से कम हो।
दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज०)